कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश, भोपाल

rcs.legal@mp.gov.in

क्रमांक / विधि / 2020 / 245 भोपाल दिनांक :– 23/09/2020

:: आदेश ::

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं के पंजीयन हेतु कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर पंजीयन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन किया जाता है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की ग्यारंटी अधिनियम 2010 में सहकारी संस्थाओं के पंजीयन की सेवा भी सम्मिलित कर ली गई है, जिसके अनुसार किसी भी सहकारी संस्था का पंजीयन ऑनलाईन प्रकिया से तथा आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 45 दिवस की समयसीमा के अन्दर करने का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 4 व 5 में यथोचित संशोधन किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 28.08.2020 को शासन द्वारा कराया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 4(3) में प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 02.10.2020 से सहकारी समितियों के पंजीयन हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे तथा आवेदनों के निराकरण की समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन सम्पादित की जाकर प्रमाण पत्र तथा पंजीयन आदेश भी ऑनलाईन जारी किये जावेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 23/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

पंजीयक सहकारी समितियां म० प्र० भोपाल

(आशीष सक्सेना)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश,
भोपाल

क्रमांक / विधि / 2020 / 245 भोपाल दिनांक :–23 / 09 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त, संभाग समस्त।
4. कलेक्टर जिला समस्त।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला (समस्त) मध्यप्रदेश।
6. निज सहायक माननीय सहकारिता मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन।
7. लोक सेवा प्राधिकारी, लोक सेवा प्रबंधन विभाग अरेरा हिल्स भोपाल।
8. अपर / संयुक्त / उप / सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (समस्त) म.प्र.।
9. जनसम्पर्क विभाग भोपाल।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थाऐं मध्यप्रदेश,
भोपाल